



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Ref No.: AAI/CHQ-MIS & STD/Engg(E)/EOI/2023/ 65

Dated: 29.09.2023

सेवा मे,

To,

मैसर्स एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली- 110092, भारत ईमेल: rprasad@aplapollo.com hemant@aplapollo.com prakashjoshi@aplapollo.com	M/s APL Apollo Tubes Limited 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi- 110092, India Email: rprasad@aplapollo.com hemant@aplapollo.com prakashjoshi@aplapollo.com
---	---

विषय : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) की अधिमानित सूची में मदों / उत्पादों को विद्युतीय कार्यों तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए सूचीबद्ध किया जाना ।

Subject: Enlistment of Items / Products in Preferred List of make for Electrical Works and other related works in Airports Authority of India (AAI).

संदर्भ: रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दिनांक 19.05.2022

Ref. : Expression of Interest (EOI) dated 19.05.2022

प्रिय महोदय / महोदया,

Dear Sir / Madam,

हमें आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके आवेदन के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / जानकारी और बाद के मूल्यांकन के आधार पर, नीचे उल्लिखित मदों / उत्पादों को विद्युतीय कार्यों तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए भाविप्रा की अधिमानित सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

We are pleased to inform you that on the basis of your application alongwith documents / informations furnished by you and subsequent evaluation, Item(s) / Product(s) as mentioned below is / are enlisted in Preferred List of make for Electrical Works and other related works in AAI.

S.No.	Description of item(s) / Product(s)	Make/Brand
1	G I / M S PIPE	APL APOLLO

2. कृपया ध्यान दें कि, यह प्रविष्टि आपके मद / उत्पाद के लिए किसी भी कार्य / आपूर्ति आदेश की प्रत्याभूति (गारंटी) नहीं देती है।

Please note that, this enlistment does not guarantee any award of work / Supply order for your Items / Product.

3. निर्माता / मूल उपकरण निर्माता के मदों / उत्पादों की सूची परीक्षण के आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी और फील्ड स्टेशनों / विमानपत्तनो से प्रतिक्रिया एवम संतोषजनक पदर्शन के आधार पर आगे की अवधि एक वर्ष तक विस्तारित होगी।

The enlistment of item(s) / Product(s) of manufacturer / OEM shall be valid for a period of two years on trial basis and the same shall be extendable for further period of one year, subject to satisfactory performance and feedback from the field stations / Airports.

4. आपको इस पत्र के जारी होने के एक माह की अवधि के भीतर एवम इसके बाद हर वर्ष मूल्य सूची, कैटलॉग आदि अभियांत्रिकी स्कंध (विद्युत), निगमित मुख्यालय, एमआईएस और मानकीकरण के पास जमा करवाना है! इसमें विफल होने की स्थिति में भाविप्रा को आपकी प्रविष्टि रद्द करने का अधिकार है।
You have to submit Price list, Catalogue within one month period of issue of this letter to Airports Authority of India, Engg. Wing, CHQ-MIS & Standardization Division, followed by subsequent submission of the same every year, failing which AAI reserves the right to cancel the enlistment of the product(s) / Item(s).
5. भाविप्रा उत्पाद की गुणवत्ता के आश्वासन के लिए कार्यस्थल / कारखाने / विनिर्माण इकाई का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निर्माता / मूल उपकरण निर्माता भाविप्रा द्वारा जब भी आवश्यकता हो तब उत्पाद की निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।
AAI reserves the right to inspect the work place / factory / manufacturing unit for assurance of product quality. Manufacturer / OEM shall arrange inspection of the product as and when required by the AAI.
6. यह ध्यान दिया जाए कि उत्पाद श्रंखला, ब्रांड नाम, कार्य के स्थान / संगठन की संरचना / पता / फोन / ईमेल आदि में कोई भी परिवर्तन प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ डेटाबेस के अद्यतन हेतु तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जाएगा।
It may be noted that any change in product range, brand name, location of work / organization structure / address / Phone / email, etc. shall be intimated to this office immediately alongwith relevant documents for necessary updation of database.
7. भाविप्रा किसी कारण के बिना भी प्रविष्टि को रद्द करने का एकमात्र और पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।
AAI reserves the sole and absolute right to cancel the enlistment without assigning any reason thereof.

धन्यवाद,
Thanking you,

भवदीय / With regards

मुकेश यादव / (Mukesh Yadav)

संयुक्त महाप्रबंधक (अभि.- विद्युत) / Jt. GM (Engg.-Elect.),
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India,
सी. एच. क्यू.-एमआईएस और मानकीकरण / CHQ-MIS & Standardization,
राजीव गांधी भवन, Rajiv Gandhi Bhawan,
नई दिल्ली - 110 003 / New Delhi - 110 003.